कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी)
भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)
शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी), पुणे
(www.rbi.org.in)

किराये पर कार की सेवाएँ प्रदान करने वाली पुणे स्थित कार परिचालक एजेंसियों को सूचीबद्ध किये जाने के लिए निविदा

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), पुणे किराए पर कार सेवा देने वालो एजेंसियों / कंपनियों से, जो पुणे में वाहनों का परिचालन करते हैं, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे में जैसे और जब अपेक्षित हो आधार पर वाहन देने के लिए सूचीबद्ध किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित करता है । इच्छुक पार्टियाँ, जो निविदा के खंड-।। के अनुसार पात्रता मानदंड पूरा करती हों, और खंड-। में दिये गये कार्य के विषय-क्षेत्र से तथा सूचना के खंड-।।। में दिये गये सामान्य दिशा-निर्देशों से सहमत हों, वे हमारे वेबसाइट (www.rbi.org.in) के "**निविदा**" खंड से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर आवेदन कर सकती हैं । आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2021 के 3.00 बजे अपराह्न तक है ।

*निविदा प्रपत्र आबंटन और कार बुकिंग अनुभाग, शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी), कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे – 411016 से सभी कार्य-दिवसों (सोमवार से शुक्रवार) को 10.00 बजे पूर्वाह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक 31 मार्च 2021 से 29 अप्रैल 2021 तक प्राप्त किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र निविदा प्रपत्र बैंक की वेबसाइट **https://www.rbi.org.in** से भी डाउनलोड किया जा सकता है ।*

प्रधानाचार्य
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
युनिवर्सिटी रोड,
पुणे – 411016

दावात्याग

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय (सीएबी). शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी), भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे (बैंक) ने इस निविदा दस्तावेज को तैयार किया है । यह सूचना भावी बोलीकर्ताओं के लिए दी जा रही है, ताकि वे कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, पुणे को जैसे और जब अपेक्षित हो आधार पर वाहन देने के लिए पुणे की कार हायरिंग एजेंसियों/कंपनियों को सूचीबद्ध किये जाने हेतु बोली लगा सकें । यह निविदा इस निविदा में वर्णित शर्तों और ऐसी सूचना से संबंधित किन्हीं अन्य शर्तों के अनुसार जारी की गयी है ।

यह निविदा न तो किसी पार्टी के साथ कोई करारनामा है, न ही यह किसी पार्टी को किसी प्रकार का कार्य करने के लिए आमंत्रण है ।

इस निविदा का प्रयोजन बैंक की जरूरतों को सभी इच्छुक पार्टियों को बताना है, ताकि वे अपनी बोली प्रस्तुत कर सकें । जबकि बैंक ने इसमें अंतर्विष्ट सूचना को तैयार करने में सम्यक् सावधानी बरती है, बैक यह दावा नहीं करता है कि यह सूचना परिपूर्ण है। इस निविदा के प्रत्यर्थियों को स्वयं पूछ-ताछ करनी है और उन्हें केवल आमंत्रण दस्तावेज में दी गयी सूचना पर निर्भर नहीं रहना चाहिए । बैंक इस बात के लिए जवाबदेह नहीं होगा, यदि प्रत्यर्थियों द्वारा इस संबंध में सम्यक् तत्परता नहीं बरती जाती है ।

बैंक को अधिकार है कि वह इस निविदा के साथ आगे नहीं बढ़े, इस दस्तावेज में दी गयी समय-सारणी को बदल दे या लागू की जाने वाली प्रक्रिया या क्रियाविधि को बदल दे । इसे यह भी अधिकार है कि यह किसी प्रत्यर्थी के साथ आगे निविदा पर चर्चा नहीं करे ।

बोली प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार से किसी खर्च की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी ।

अँग्रेजी और हिन्दी में निर्गत सूचना में कोई विसंगति होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ में उल्लिखित विवरण अभिभावी होंगे ।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

क्रम सं.	**वर्णन**	**तिथि**	**समय**
01	दस्तावेज जारी करने की प्रारंभ तिथि	31 मार्च 2021	10.00 बजे पूर्वाह्न
02	बोली – पूर्व बैठक	07 अप्रैल 2021	11.00 बजे पूर्वाह्न
03	दस्तावेज और मुहरबंद कोटेशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	30 अप्रैल 2021	03.00 बजे अपराह्न
04	आवेदन खोले जाने की तिथि	30 अप्रैल 2021	04.00 बजे अपराह्न
05	वाणिज्यिक बोली खोले जाने की तिथि : पात्र पाई गई संस्थाओं को सूचना दी जाएगी	उन एजेंसियों को सूचित किया जाएगा जो योग्य पाए गए हैं।	

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी)
पुणे

<u>पुणे स्थित कार हायरिंग एजेंसियों / कंपनियों से कार हायरिंग सेवा देने के लिए सूचीबद्धता हेतु आवेदन आमंत्रित करने हेतु निविदा</u>

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे अपनी आवश्यकता के आधार पर कार किराये पर देने वाली एजेंसियों / कंपनियों की सूची बनाना चाहता है । यह सूची सूचीबद्धता की तिथि से ले कर 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए होगी, जो सेवाप्रदाताओं को कार्यसंपादन की बैंक द्वारा समीक्षा किये जाने के अधीन होगी । किराये पर कार देने वाली/टैक्सी परिचालक एजेंसियों से, जो सूचीबद्धता के लिए खंड-।। में दिये गये पात्रता मानदंडों को पूरा करती हों, सूचीबद्धता की तिथि से ले कर 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए, जो सेवाप्रदाताओं के कार्यसंपादन की बैंक द्वारा समीक्षा किये जाने के अधीन होगा, मुहरबंद निविदाएँ दो भाग में बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय बोली) के अंतर्गत आमंत्रित की जाती हैं ।

विषयवस्तु

दावात्याग..2

महत्वपूर्ण तिथियाँ 3

भाग I..6

खंड – I कार्य का विशेष क्षेत्र 6

खंड – II पात्रता मानदंड 7

खंड III- अन्य शर्तें और दिशानिर्देश 8

अनुबंध : ए 18

अनुबंध : बी 21

अनुबंध : सी 22

अनुबंध : डी 23

अनुबंध : ई 24

अनुबंध : एफ 25

अनुबंध : जी..28

अनुबंध : एच 29

अनुबंध :आई 30

भाग – II (मूल्य बोली मात्र)..32

खंड - ।

कार्य का विषय-क्षेत्र

कार्य के व्यापक विषय-क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे :

i. विभिन्न प्रकार की क्षमता वाले वाहन(नों) (एसी/नॉन एसी), यथा, कार/एसयुवी/वैन आदि देना, जैसे और जब बैंक/बैंक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा माँग की जाये । **वर्ष भर में बैंक द्वारा अपेक्षित वाहनों की अनुमानित संख्या अनुबंध-जी में दी गयी है ।** बैंक को वाहनों की जरूरत स्थानीय़ और पुणे से बाहर की यात्रा में उपयोग के लिए होगी । स्थानीय उपयोग मुख्य रूप से एयरपोर्ट/ रेलवे स्टेशन से आगंतुकों को लाने और सीएबी, पुणे में छोड़ने के लिए तथा स्थानीय संस्थाओं में निरीक्षण के लिए होगा । बाहर की यात्रा सामान्यतः महाराष्ट्र राज्य के भीतर अन्य स्थानों के लिए होगी ।

ii. ठेकेदार को विभिन्न प्रकार के वाहनों की व्यवस्था करने में समर्थ होना चाहिए, यथा मारुति डिजायर / टोयोटा ईटिओज, होंडा सिटी, हुँदै वरना, मारुति सियाज़, टोयोटा इनोवा क्रिसता, टोयोटा कोरोला आल्टीज, बी एम डब्ल्यू, ऑडी जिनके लिए वैध टैक्सी परमिट (स्थानीय और अखिल भारतीय) हो और अन्य सभी प्रकार का सांविधिक अनापत्ति प्रमाणपत्र हो । ड्राइवर जब अतिथियों को लाने जायें, तब उन्हें अतिथियों के नाम वाला प्लैकार्ड ले जाना होगा । एजेंसी को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए ।

iii. माँग किये जाने पर एजेंसी द्वारा भेजे गये वाहन(नों) में (i) **एक समाचारपत्र, (ii) 500 मि.ली. की दो बोतल ब्रांडेड मिनरल वाटर, यथा, बिसलेरी, एक्काफिना, किंगफिशर, किनले, हिमालय़ा, आदि, (iii) फर्स्ट-एड-बॉक्स (iv) छाता, (v) अग्निशामक और (vi) युनिवर्सल मोबाइल चार्जर होने चाहिए । उक्त सुविधाओं के लिए अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा और इनका खर्च एजेंसिय़ों द्वारा उद्धृत प्रभारों में शामिल किया जाना चाहिए । यदि अपेक्षित वस्तुओं की अनुपलब्धता के बारे में शिकायत की जायेगी, तो बिल के 25% तक की राशि का दंड लगाया जायेगा । प्रासंगिक बिल में से राशि की कटौती की जायेगी ।**

खंड - ।।

पात्रता मानदंड

किराये पर कार देने वाली प्रतिष्ठित एजेंसियों/कंपनियों/टैक्सी परिचालकों से, जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों, सूचीबद्धता की तिथि से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए सूचीबद्ध किये जाने हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जो सूचीबद्ध एजेंसियों के कार्यसंपादन की बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा किये जाने के अधीन होगा ।

पात्रता मानदंड

i. अनुभव: 31 मार्च 2020 को परिवहन सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में कम से कम (05) पाँच वर्षों का अनुभव । अनुबंध बी के अनुसार न्यूनतम 2 ग्राहकों से प्रमाणपत्र और उनके कार्य आदेश संलग्न किए जाएँ।

ii. कुल कारोबार: वार्षिक कुल कारोबार पिछले तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात्, वर्ष 2017-18, 2018-19, और 2019-20 के दौरान प्रत्येक वर्ष कम से कम रु.19 लाख हो । एजेंसी / फार्म / कंपनी द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षों का सीए प्रमाणित विवरण / लेखापरीक्षित तुलनपत्र / लाभ हानी लेखा / आय कर विवरणी प्रस्तुत की जानी चाहिए।

iii. अनुबंध ई के अनुसार किसी अनुसूचित बैंक से **अनुबंध – ई** के अनुसार रु.19 लाख के लिए शोधक्षमता प्रमाणपत्र ।

iv. पिछले तीन वर्षों, अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, और 2019-20 के दौरान कम से कम एक सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/बैंक/एमएनसी, आदि में किराये पर कार देने की सेवा प्रदान की हो/करती रही हो ।

v. आवेदन करने वाली फर्म/कंपनी के पास अपनी कम से कम 10 (दस) कारें हों. जिनमें निम्नलिखित कारें, यथा मारुति डिजायर, टोयोटा इटिओस,होंडा सिटी, हुँदै वरना , मारुति सियाज़ , टोयोटा इनोवा, टोयोटा कोरोला ऑल्टिस (वाहनों/टैक्सियों की सूची, जो वर्ष 2017 से पहले की न हों), के साथ उनके आरसी/उपयुक्तता प्रमाणपत्र और परमिट, जो एजेंसी के पास हो, उनकी फोटोकॉपी **अनुबंध : सी** में दिये गये फार्मैट के अनुसार प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।

vi. आवेदन करने वाली फर्मों/कंपनियों के पास सभी प्रकार के प्रयोज्य कर पंजीकरण हों (पैन, जीएसटी, आदि) (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) ।

vii. आवेदन करने वाली एजेंसी का पुणे में अपना कार्यालय हो (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) ।

viii. एजेंसी का दुकान और स्थापना (जागर विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम के तहत वैध पंजीयन होना चाहिए

ix. **सभी बोलीकर्ता अनुबंध – एच** के अनुसार एन ई एफ टी के माध्यम से विप्रेषणीय रुपये 50,000 /- के ई एम डी जमा करेंगे (ब्योरा अनुबंध एच में दिया गया है)।

खंड - ।।।

अन्य शर्तें एवं दिशा-निर्देश

1. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि उसके द्वारा दी गयी कारें मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, उनके लिए वैध बीमा और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र हैं।

2. सभी वाहनों को अच्छी हालत में समुचित साज-सज्जा, आदि के साथ होना चाहिए।

3. एजेंसी द्वारा प्रदान किए जा रहे सभी वाहनों में एक वैध और पर्याप्त बीमा कवर होगा और आवधिक जाँच और बीमा (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का पालन करेगा। वाहनों के लिए परिवहन श्रेणी और टैक्सी परमिट (संलग्न दस्तावेजी साक्ष्य) के तहत वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र होना चाहिए।

4. तैनात किये गये ड्राइवर के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो, जिसे वह ट्रैफिक पुलिस द्वारा माँगे जाने पर दिखायेगा। समय-समय पर उसके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीकरण कराये जाने की जिम्मेवारी एजेंसी की होगी।

5. तैनात किये गये ड्राइवर उत्तम नैतिक चरित्र वाले हों और वे अंग्रेजी और हिन्दी में बातचीत कर सकते हों। मार्ग में, यदि आवश्यक हो, वे कार की छेटी-मोटी मरम्मत कर सकते हों।

6. ड्राइवर को माँग किये गये वाहन के साथ निर्धारित स्थान और समय पर साफ-सुथरी वर्दी में ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना चाहिए।

7. ड्राइवर को दैनिक आधार पर की गयी यात्रा की दूरी (mileage) का उचित रिकार्ड एक लॉग बुक/पर्ची में रखना चाहिए और उसे कार के प्राधिकृत उपयोगकर्ता से अधिप्रमाणित करा लेना चाहिए। ड्राइवर को ड्यूटी स्लिप रखना चाहिए, जिसमें तय की गयी दूरी का पूरा ब्यौरा, अर्थात्, कितने किलोमीटर की यात्रा की गयी/रिपोर्ट करने और कार्यमुक्त होने का समय दर्शाया गया हो और उसे वाहन का उपयोग करने वाले अधिकारी से अधिप्रमाणित करा लेना चाहिए। वाहन का मेक और पंजीकरण संख्या, जो प्राधिकृत उपयोगकर्ता को दी गयी हो, उसे ड्यूटी स्लिप में उल्लिखित होना चाहिए। इस ड्यूटी स्लिप के आधार पर पर ठेकेदार ने बैंक के पास बिल प्रस्तुत करने चाहिए।

8. ड्राइवर को सब समय विनम्र, शिष्ट एवं सेवा-उन्मुख होना चाहिए। माँग किये जाने पर उसे अपना मोबाइल नंबर अतिथि को बताना चाहिए।

9. प्रत्येक वाहन से संबंधित सभी कागजात, यथा, बीमा, पंजीकरण, रोड टैक्स, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र, परमिट, वैध लाइसेंस, आदि प्रत्येक वाहन में ड्राइवर के पास हरदम उपलब्ध होना चाहिए।

10. बैंक को दिये गये किसी वाहन में ब्रेकडाउन हो जाने की स्थिति में 01 (एक) घंटे के भीतर एजेंसी को दूसरे वाहन की व्यवस्था करने में समर्थ होना चाहिए और उसमें सरकारी/बीमा अधिकारियों से संपर्क रखने की योग्यता होनी चाहिए।

11. एजेंसी / फार्म / कंपनी ने तीन निरंतर लेखा वर्षों (अर्थात वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20) में लाभ कमाया हो।

12. एजेंसी लिखित या टेलीफोन पर दिये गये मौखिक अनुदेश पर विनिर्दिष्ट समय के भीतर/ विनिर्दिष्ट समय पर टैक्सी की व्यवस्था करेगी। एजेंसी को बैंक से अल्प सूचना (जैसेकि एक घंटे के भीतर आपातकालीन स्थिति में) प्राप्त होने पर भी टैक्सी की व्यवस्था करनी होगी। यदि हमारे मौखिक या फोन पर या लिखित अनुरोध पर एजेंसी टैक्सी की व्यवस्था नहीं कर पाये, तो बैंक इस बात के लिए स्वतंत्र होगा कि वह एजेंसी का नाम पैनल में से हटा दे।

13. **वाहनों को उप-ठेका पर देने की अनुमति कतई नहीं दी जायेगी**।

14. एजेंसी ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और अन्य श्रम-कानूनों के प्रावधानों का, जहाँ भी वे लागू हों, अनुपालन पूर्वोक्त कार्य के लिए कार्मिकों की तैनाती करते समय करेगी और प्रत्येक वर्ष, जैसे और जब सीएबी, आरबीआई, पुणे द्वारा माँग की जाये, इनके अनुपालन का आश्वासन देगी ।

15. एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति एजेंसी के कर्मचारी होंगे और न तो एजेंसी और न ही उसके ड्राइवरों/कर्मचारियों को बैंक में नियोजन के लिए दावा करने का अधिकार होगा ।

16. एजेंसी द्वारा नियोजित ड्राइवर/कर्मचारी बैंक के सुरक्षा अधिकारियों/प्रहरियों द्वारा दिये गये अनुदेशों का पालन करेंगे और वाहनों/व्यक्तियों की सुरक्षा जाँच की जायेगी, जैसे और जब अपेक्षित हो ।

17. चालक को यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी यातायात नियमों और विनियमों (सीट बेल्ट, गति सीमा, लाल बत्ती, ओवरटेकिंग आदि) का पालन करना चाहिए।

18. यदि बैंक या उपयोगकर्ता किसी चालक द्वारा दुर्व्यवहार / अस्वीकार्य व्यवहार की शिकायत करते हैं, तो ठेकेदार ऐसे चालक को बदलने के लिए तत्काल कदम उठाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में उक्त चालक की सेवाएं बैंक को नहीं दी जाएंगी।

19. बैंक द्वारा सौंपी गयी ड्यूटी करने वाले ड्राइवरों के पूर्व वृत्त के संबंध में एजेंसी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने की व्यवस्था करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके द्वारा कोई अवांछित व्यक्ति बैंक की सेवा में नहीं रखा गया है। बैंक उक्त प्रमाणपत्र मांगने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है।

20. एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि दी गयी कारों का पंजीकरण वर्ष 2017 से पुराना न हो और उसने 75000 कि.मी. से कम दूरी तय की हो ।

21. एजेंसी को निश्चित रूप से कार के ब्यौरे, अर्थात्, कार का मेक/रंग, कार-पंजीकरण संख्या, ड्राइवर का नाम और उसका मोबाइल नंबर कार डेस्क के अधिकारियों को और कार के उपयोगकर्ता को टेलीफोन और एसएमएस के माध्यम से उपयोगकर्ता के आगमन/प्रस्थान से कम से कम चार घंटे पूर्व बताना चाहिए । यह सुनिश्चित करना ठेकेदार की ड्यूटी होगी कि यह विवरण उपयोगकर्ता और बैंक के कार डेस्क तक पहुँच जाएँ।

22. . एजेंसी को कार डेस्क के अधिकारियों को दिए गए स्थान पर वाहन की रिपोर्टिंग और कार के उपयोगकर्ता को बुकिंग के बारे में एसएमएस के माध्यम से पुष्टि करनी चाहिए।

23. चालक को बैंक के अतिथि / उपयोगकर्ता / अधिकारी को सूचित करने के बाद हमेशा कार के साथ उपलब्ध होना चाहिए। पूरे ड्यूटी के दौरान उसका मोबाइल चालू होना चाहिए (बैटरी नियमित रूप से चार्ज किया जाना चाहिए)। किसी भी जरूरी काम के लिए वाहन से जाते समय उसे अपना मोबाइल अपने साथ रखना चाहिए। वाहन चलाते समय चालक को मोबाइल कॉल नहीं लेना चाहिए। यदि उसे वाहन चलाते समय कोई जरूरी कॉल लेना है, तो उसे उचित स्थान पर वाहन को रोकना चाहिए और फिर कॉल का जवाब देना चाहिए।ड्राइवरों को बैंक के प्राधिकृत अधिकारियों और अतिथियों द्वारा, जिन्हें कार सौंपी गयी है, दिये गये आदेशों का अनुपालन करना चाहिए । वह बचाव और सुरक्षा के संबंध में बैंक के नियमों और विनियमों का भी पालन करेगा ।

24. समय की पाबंदी और सेवा की गुणवत्ता इस करार का सार-तत्व होगा । इसलिए करार का वार्षिक नवीकरण किया जाना सूचीबद्ध एजेंसियों द्वारा समय का पालन किये जाने और संतोषप्रद कार्यसंपादन के अधीन होगा ।

25. ड्राइवर को ईंधन, मरम्मत शुल्क, टोल आदि के नाम पर अतिथि से कोई पैसा / स्वाइप कार्ड नहीं मांगना चाहिए। लंबी यात्रा में, ड्राइवर को ऐसे सभी खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त संतुलन के साथ ठेकेदार द्वारा पर्याप्त धन / कार्ड प्रदान किया जाना चाहिए।

26. COVID 19 सुरक्षा प्रोटोकॉल- एजेंसी को सरकार द्वारा निर्धारित और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्देशित सभी COVID संबंधित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए।COVID महामारी की अवधि के दौरान, प्रदान किए गए वाहन को ठीक से साफ किया जाना चाहिए। चालक को रिपोस्ट करते समय न्यूनतम 10 घंटे आराम (ड्यूटी से दूर) होना चाहिए।

27. ठेकेदार के पास शीघ्र और मजबूत शिकायत समाधान तंत्र के साथ 24x7 ग्राहक सेवा सहायता होनी चाहिए। यह वाहनों की बुकिंग और वृद्धि मैट्रिक्स के साथ शिकायतों के समाधान के लिए बैंक को पर्याप्त संपर्क नंबर / मेल आईडी प्रदान करना चाहिए। ठेकेदार दिन के आधार पर बैंक के साथ संपर्क के लिए अनुभवी कर्मचारियों / अधिकारियों (ओं) को नामित करेगा।

28. चालक को बैंक के आगमन वाले अतिथि / अधिकारी के विवरण को दर्शाते हुए एक प्लेकार्ड ले जाना चाहिए और रेलवे प्लेटफॉर्म / हवाई अड्डे से बाहर निकलने वाले स्थान पर मेहमानों को प्राप्त करने के लिए उपस्थित होना चाहिए। हवाई अड्डे / रेलवे स्टेशन पर कई निकास बिंदुओं / फाटकों के मामले में, चालक को उड़ान से उतरने / ट्रेन के पहुंचने के बाद अतिथि को किसी विशेष निकास बिंदु / गेट पर अपनी उपस्थिति के बारे में सूचित करना चाहिए। उपयोगकर्ताओं को अपने आगमन का पता लगाने के लिए कॉल करने की प्रतीक्षा करने के बजाय उपयोगकर्ताओं को पिकअप स्थान पर अपने आगमन के बारे में सूचित करने के लिए उपयोगकर्ताओं से संपर्क करने के लिए ड्राइवरों को एक फोन कॉल करना चाहिए।

29. चालक को साफ वर्दी में रिपोर्टिंग के समय से कम से कम 15 मिनट पहले निर्दिष्ट स्थान पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना होगा। अतिथि को लेने के लिए हवाई अड्डे के लिए जाते समय, उड़ान के लैंडिंग समय को नियमित रूप से उसके या ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा जांचना चाहिए, क्योंकि उनके समय से पहले कुछ समय के लिए उड़ान भरी जाती है। यह सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार का कर्तव्य है कि वह वाहन हवाई अड्डे / रेलवे स्टेशन / पिक पॉइंट तक समय पर पहुंचे।

30. समय की पाबंदी और सेवा की गुणवत्ता समझौते का सार होगा। इसलिए, समझौते का वार्षिक नवीकरण समयबद्ध एजेंसियों द्वारा समय की पाबंदी और संतोषजनक प्रदर्शन के अधीन होगा। (क) सफल आवेदकों को स्वीकृति-पत्र प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर उपयुक्त मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प-पत्र पर बैंक के साथ एक करारनामा निष्पादित करना होगा । तथापि, बैंक द्वारा स्वीकृति-पत्र जारी किये जाने को बंधनकारी संविदा के रूप में माना जायेगा, मानो ऐसा करारनामा निष्पादित किया गया है, और सभी शर्तें इस संविदा के संबंध में लागू होंगी । सूचीबद्धता और दरें सूचीबद्धता की तिथि से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए वैध होंगी, जो सूचीबद्ध एजेंसियों के कार्यसंपादन की वार्षिक समीक्षा किये जाने के अधीन होगी ।

    (ख) स्टाम्प-शुल्क एजेंसी द्वारा वहन और भुगतान किया जायेगा ।

31. बैंक द्वारा स्वीकृत दरें सूचीबद्धता की तिथि से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए वैध रहेंगी । इनकी वार्षिक समीक्षा श्रम कानूनों में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों या ईंधन की कीमतों, आदि को प्रभावित करने वाले सरकार के निर्णय के मद्देनजर की जायेगी ।

32. एजेंसी या इसके एजेंट/कर्मचारी/ड्राइवर, जो करारनामे में उल्लिखित किसी शर्त को भंग करेंगे और/या बैंक की राय में असंतोषजनक सेवा प्रदान करेंगे, वे तुरंत इस करार को, बिना किसी पूर्व सूचना या उसके बदले मुआवजा के, समाप्त कर दिये जाने के भागी बनेंगे ।

33. उपर्युक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना सूचीबद्धता को सूचीबद्धता अवधि के अंतिम दिन या सूचीबद्धता अवधि के दौरान दोनों ओर से एक महीने की पूर्व सूचना दे कर समाप्त कर दिया जायेगा ।

34. (क) **दंड संबंधी खंड** : सेवा में त्रुटि या बैंक को और इसके अधिकारियों को हुई असुविधा के लिए, जिनके लिए बैंक सेवा प्रदान करने का निदेश देता है, प्रासंगिक दृष्टांत के लिए अनुमानित बिल के 25% तक की राशि का दंड लगाया जायेगा ।

(ख) यह जिम्मेवारी एकमात्र एजेंसी की होगी कि वह, जैसे और जब बैंक द्वारा माँग की जाये, रात में/अल सुबह कार/वाहनों की व्यवस्था करेगी । इसमें कोई विलंब होने पर पैराग्राफ 33(क) में यथा उल्लिखित दंड लगाया जायेगा, जो बैंक द्वारा उचित समझा जाये । उपर्युक्त पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एजेंसी वाहन(नों) में ब्रेकडाउन होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था भी करेगी ।

(ग) यदि एजेंसी वाहन की व्यवस्था करने में विफल रहे, तो एजेंसी इस संबंध में बैंक द्वारा किये गये समस्त व्यय की क्षतिपूर्ति करेगी और यह राशि या तो ठेकेदार के बिल में से काटी जयेगी या प्रतिभूति निक्षेप ((रु.50000), जो बैंक के पास जमा किया जायेगा, यदि एजेंसी को पैनल में शामिल कर लिया गया हो) या उसे देय किसी राशि में से काटी जायेगी । इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और एजेंसी पर बंधनकारी होगा । ऐसी क्षतिपूर्ति किसी ऐसे दंड के अतिरिक्त हो सकती है, जो ऊपर पैराग्राफ 33(क) के अंतर्गत लगाया गया हो।

35. यात्रा शुरू होने से पहले सेवा के प्रत्येक अतिथि / उपयोगकर्ता को एक प्रतिक्रिया प्रपत्र (अनुबंध I के अनुसार) प्रदान किया जाना चाहिए। उपयोगकर्ता का हस्ताक्षर इस फीडबैक फॉर्म पर प्राप्त किया जाना चाहिए और इसे भुगतान के लिए शुल्क पर्ची के साथ बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि उपयोगकर्ता प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार नहीं है, तो उपयोगकर्ता से अनुरोध किया जा सकता है कि वह फॉर्म की पहली पंक्ति में ड्राइवर को 'नहीं' पर टिक करें (मैं यात्रा के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए तैयार / तैयार नहीं हूं) और फॉर्म पर हस्ताक्षर करूं । फीडबैक फॉर्म के बिना / फीडबैक फॉर्म पर उपयोगकर्ता के हस्ताक्षर के बिना भुगतान के लिए भेजे गए चालान को बैंक द्वारा भुगतान से वंचित किया जा सकता है।

36. एजेंसियों को दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए और उनके पास पर्यटन एवं यात्रा सेवाओं का संचालन करने के लिए आवश्यक प्रमाणपत्र/पंजीकरण होना चाहिए ।

37. **अग्रधन जमा (इएमडी)**

सभी बोलीदाताओं को एनईएफटी (अनुलग्नक एच के अनुसार विवरण) के माध्यम से प्रेषित करने के लिए 50000 / - (केवल पचास हजार) की ईएमडी राशि जमा करनी होगी। लेन-देन का विवरण प्रदान करना होगा। इस शर्त का पालन करने में विफलता से बैंक अपने विवेक पर निविदा को रद्द कर सकेगा। सफल बोलीदाता / ईएमडी को बैंक द्वारा सुरक्षा जमा के रूप में बरकरार रखा जाएगा, जब तक कि सफल बोलीदाता बैंक गारंटी प्रस्तुत नहीं करता है। यदि सफल बोलीदाता बैंक के साथ आवश्यक समझौते को निष्पादित करने और निविदा कार्य को पूरा करने में विफल रहता है तो ईएमडी को जब्त कर लिया जाएगा। अनुबंध मिलने के बाद बोली लगाने वालों की ईएमडी वापस नहीं की जाएगी। ईएमडी राशि कोई ब्याज नहीं लेगी।

38. निष्पादन बैंक गारंटी (पीबीजी) – सूचीबद्ध की गयी एजेंसियाँ रु.50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) की (पीबीजी) निष्पादन बैंक गारंटी प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे के पक्ष में संविदा के स्वीकृति-पत्र के साथ जमा करेगी । पीबीजी ठेका समाप्त होने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध होगी । सफल बोलीकर्ताओं द्वारा जमा की गयी पीबीजी बोलीकर्ता के असंतोषजनक कार्यसंपादन और/या सेवाप्रदाता द्वारा तैनात किये गये कामगारों की विफलता या उपेक्षा के चलते बैंक को हुई हानि/नुकसान या करार की शर्तों को भंग किये जाने की स्थिति में जब्त/विनियोजित कर ली जायेगी । **निष्पादन बैंक गारंटी अवुबंध एफ में दिये गये फार्मैट के अनुसार दी जानी है ।**

39. **निविदा दस्तावेजों का प्रस्तुतीकरण**

क. निविदा दो भागों में तैयार की जायेगी, यथा, भाग-।, (अनुबंध ए) जिसमें शर्तें, पात्रता से संबंधित दस्तावेज और कार्य का विस्तृत विषय-क्षेत्र होंगे और भाग-।। में केवल वत्तीय बोली होगी और इन्हें अलग-अलग प्रस्तुत किया जायेगा, यथा, भाग-। और भाग-।। को दो अलग मुहरबंद लिफाफों में , जिन पर

भाग-। - तकनीकी बोली

भाग-।। - वित्तीय बोली

स्पष्ट रूप से लिखा होगा, प्रस्तुत की जायेगी ।

दोनों लिफाफे (तकनीकी बोली और वित्तीय बोली) एक अलग लिफाफे में मुहरबंद किये जायेंगे, जिसके ऊपर **'किराये पर कार की सेवाएँ प्रदान करने वाली पुणे की एजेंसियों / कंपनियों को कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे में वाहन प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध किये जाने हेतु निविदा/आवेदन'** लिखा हो, और जो

प्रधानाचार्य
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
युनिवर्सिटी रोड, पुणे – 411016

को संबोधित हो, बोलीकर्ता द्वारा प्रस्तुत किये जायेंगे ।

ख. जो निविदाएँ फैक्स या ई-मेल या ऊपर विनिर्दिष्ट से भिन्न तरीके से प्राप्त होंगी, उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

ग. निविदादाता का पूरा नाम, डाक का पता, ई-मेल पता और टेलीफैक्स/टेलीफोन नंबर मुहरबंद लिफाफे के नीचे बायीं ओर किनारे पर लिखा जायेगा । कोई सन्निवेश, पश्चलेख, परिवर्धन और परिवर्तन तब तक वैध नहीं होगा, जब तक उसकी पुष्टि निविदादाता के हस्ताक्षर से नहीं की जाये ।

घ. निविदा की सभी प्रतियाँ सभी संलग्नकों/अनुलग्नकों/अनुबंधों के साथ हर प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए । अधूरे फार्मों या उचित दस्तावेजी साक्ष्य, आदि (जैसा सूचित किया गया हो) के बिना प्राप्त फार्मों को सरसरी तौर पर बैंक द्वारा अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

ङ. निविदा प्रस्तुत करने के पूर्म बोलीकर्ता इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों को पढ़ लें, जिन पर बैंक द्वारा कार्य दिया जायेगा और सफल बोलीकर्ता द्वारा उसे निष्पादित किया जाना अपेक्षित होगा । बोलीकर्ता इसमें निर्धारित पात्रता एवं अन्य मानदंडों के बारे में स्वयं संतुष्ट हो लें । **यह भी नोट किया जाये कि इसमें विनिर्दिष्ट शर्तें निदर्शनात्मक स्वरूप की हैं और सफल बोलीकर्ता के साथ करार निष्पादित करते समय आगे और कोई शर्त लगाने या बोलीकर्ता को उससे सहमत कराने या इसमें अंतर्विष्ट शर्तों को बदलने, संशोधित करने या विलोपित करने से बैंक को नहीं रोकेगी, जो इस निविदा के अंतर्गत दिये जा रहें कार्य के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक समझी जायें ।**

च. निविदादाता को निविदा दस्तावेज और इसके सभी अनुबंधों के प्रत्येक पृष्ठ पर अपना हस्ताक्षर करना चाहिए और अपनी फर्म की मुहर लगानी चाहिए ।

छ. इच्छुक एजेंसियाँ शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी), कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, युनिवर्सिटी रोड, पुणे में 07 अप्रैल 2021 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में होने वाली बोलीपूर्व बैठक में भाग ले सकती हैं । निविदा प्रपत्र (भाग-। और ।। दो अलग-अलग लिफाफों में) बोलीकर्ता द्वारा **एक मुहरबंद लिफाफे में** 30 अप्रैल 2021 को 03.00 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किये जायेंगे । उक्त तिथि और समय के बाद प्राप्त किसी निविदा को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

40. **निविदाएँ हाथ से भरी जायेंगी -** निविदा-प्रपत्र अंग्रेजी या हिन्दी में भरे जायें और सभी प्रविष्टियाँ हाथ से स्याही में लिखी जायें । यदि कोई दस्तावेज गुम हो जाये या उस पर हस्ताक्षर नहीं हों, तो निविदा को बैंक द्वारा अपने विवेक पर अवैध माना जायेगा ।

41. **निविदा भरने में सावधानी –** दरों को विनिर्दिष्ट स्तंभ में अंकों में उद्धृत किया जाये । निविदा दस्तावेज (भाग-।) में किया गया कोई काट-छाँट और परिवर्तन बोलीकर्ता के पूरे हस्ताक्षर के साथ अधिप्रमाणित किया जाये । वाणिज्यिक बोली (भाग-।।) में कोई काट-छाँट, परिवर्तन, उपरिलेखन स्वीकार नहीं किया जायेगा और ऐसा होने पर बोली को अस्वीकृत कर दिया जायेगा । इन दोनों में से किसी शर्त का अनुपालन करने में विफलता निविदा को बैंक के विवेक पर अवैध कर देगी । कोई भी सूचना, विशेष रूप से दर-विनिर्देशों में परिवर्तन के संबंध में, निविदा के भाग-।। को खोले जाने के बाद ग्रहण नहीं की जायेगी ।

42. **निविदाओं पर हस्ताक्षर किया जाना –** निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीकर्ता के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए, जो इस बात का प्रमाण होगा कि उसने स्वयं को संविदा की अधिकथित शर्तों से परिचित करा लिया है । कोई निविदा, जिसका कोई दस्तावेज इस प्रकार हस्ताक्षरित नहीं होगा, उसे अस्वीकृत कर दिया जायेगा ।

43. **निविदा पर हस्ताक्षर –** फर्म की ओर से प्रस्तुत की गयी निविदा पर फर्म के सभी भागीदारों द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा या किसी ऐसे भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा, जिसे फर्म की ओर से प्रस्तावित संविदा करने का आवश्यक प्राधिकार मिला हुआ है य़ा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा, जिसके पास कंपनी के मामले में ऐसा करने के लिए बोर्ड का मुख्तारनामा हो (बोर्ड के संकल्प की प्रति प्रस्तुत की जाये) । उपर्युक्त का अनुपालन करने में विफल रहने पर निविदा को बैंक द्वारा अस्वीकृत किया जा सकता है ।

44. **निविदा को स्वीकार नहीं किया जाना –** बैंक स्वयं को इसके लिए बाध्य नहीं करता कि वह न्यूनतम या किसी निविदा को स्वीकार करे और उसे अधिकार है कि वह किसी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताये पूर्णतः या अंशतः स्वीकार या अस्वीकार कर दे ।

45. **अवैध निविदाएँ –** प्रथम दृष्टया संवीक्षा के बाद, यदि किसी बोलीकर्ता को अपेक्षित पात्रता मानदंड रखता हुआ नहीं पाया जाता है, तो उसके द्वारा प्रस्तुत निविदा को आगे संसाधित नहीं किया जायेगा ।

46. **निविदा की वैधता –** बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए निविदा उसके खोले जाने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए वैध रहेगी, जिस अवधि को आपसी सहमति से आगे बढ़ाया जा सकता है, बोलीकर्ता इस अवधि के दौरान निविदा को निरस्त नहीं करेंगे या वापस नहीं लेंगे ।

47. **प्रभारों में सांविधिक लेवी शामिल होगी –** बताये गये सेवा प्रभारों में बीमा प्रभार, वर्दी प्रभार, और कोई अन्य कर/शुल्क/लेवी शामिल होगी, चाहे वे वर्तमान या भविष्य में केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा लगाये जायें, जो भी लागू हो, जिसके लिए अलग से कोई दावा नहीं किया जायेगा । वस्तु एवं सेवा कर का अलग से भुगतान किया जाना चाहिए ।

48. **बैंक की कोई देयता नहीं होगी –** बोलीकर्ता इस संबंध में मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 या किसी अन्य श्रम-कानून/संविधि के किसी प्रावधान को भंग करने के लिए सभी हानियों एवं दावों, नुकसानी या मुआवजे के विरुद्ध बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा और उसे क्षतिपूरित रखेगा । बोलीकर्ता को उपकरण की मानक सुरक्षा क्रियाविधि का पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसके किसी स्टाफ को क्षति नहीं पहुँचे । इस संबंध में कोई देयता केवल बोलीकर्ता की होगी ।

49. **संविदा का नवीकरण –** सूचीबद्धता और दरें सूचीबद्धता की तिथि से 31 मार्च 2022 तक की अवधि के लिए वैध होगी, जो सूचीबद्ध एजेंसियों के कार्यसंपादन की बैंक द्वारा वार्षिक समीक्षा किये जाने के अधीन एक बार में एक वर्ष के अनुसार कुल दो वर्षों तक नवीकृत की जा सकेंगी। बैंक द्वारा स्वीकार की गई दरें, समयावधि की तारीख से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए वैध रहेंगी। श्रम कानूनों या ईंधन मूल्य निर्धारण आदि को प्रभावित करने वाले सरकार के निर्णय में होने वाले बड़े बदलावों के मद्देनजर इनकी सालाना समीक्षा की जा सकती है।

50. **संविदा के लिए करार –** सफल बोलीकर्ता को बैंक से उसकी निविदा को स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर इस संबंध में बैंक के साथ एक करारनामा दो प्रतियों और द्विभाषी रूप में निष्पादित करना होगा ।

51. **संविदा की समाप्ति – ।.** इसमें ऊपर अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बैंक अपने एकमात्र एवं स्पष्ट विवेक पर इसके लिए हकदार होगा कि वह बिना कोई कारण बताये या कोई मुआवजा अदा किये बिना लिखित सूचना दे कर संविदा को तुरंत समाप्त कर दे, यदि

क. बैंक की राय में (जिस पर बोलीकर्ता सवाल नहीं करेगा और जो बोलीकर्ता पर बंधनकारी होगा) बोलीकर्ता बैंक की संतुष्टि के अनुसार संविदा का कार्यान्वयन करने में विफल रहे या संविदा का कार्यान्वयन करने से इनकार कर दे और/या

ख. बोलीकर्ता संविदा की किसी शर्त को भंग करे और/या

ग. किसी भी कारण से बोलीकर्ता संविदा के अंतर्गत अपने दायित्व को पूरा करने का हक कानूनन खो दे और/या

घ. बैंक से लिखित रूप में पूर्व-परामर्श किये बिना बोलीकर्ता या उसके कारबार के स्वामित्व/भागीदारी में कोई परिवर्तन हो और/या

ङ. बोलीकर्ता को दिवालिया न्याय-निर्णीत किया जाये या उसके और उसके ऋणदाताओं के बीच समझौता किया जाये या उस पर करस्थम (distress) या निष्पादन ग़ा अन्य आदेशिका (process) लगाया जाये या बोलीकर्ता की आस्तियों या संपत्ति के किसी हिस्से के लिए रिसीवर नियुक्त किया जाये ।

किसी भी कारण से संविदा का समापन किये जाने की स्थिति में बोलीकर्ता या उसके द्वारा नियोजित व्यक्ति बैंक से मुआवजे या नुकसानी के रूप में कोई रकम या रकमों के लिए हकदार नहीं होंगे ।

52. **असंतोषजनक सेवा के लिए समापन –**बैंक को अधिकार होगा कि वह किसी भी समय एक महीने की नोटिस दे कर संविदा को समाप्त कर दे, यदि दी गयी सेवा को असंतोषजनक पाया जाये और उसे यह भी अधिकार होगा कि वह ठेके को बोलीकर्ता के खर्च, जोखिम और उत्तरदायित्व पर किसी अन्य बोलीकर्ता को दे दे और इसके लिए जो अतिरिक्त खर्च बैंक को करना पड़ेगा, उसकी वसूली/समायोजन बैंक द्वारा प्रतिभूति निक्षेप की राशि में से की जायेगी, जिसके लिए निष्पादन बैंक गारंटी को लागू किया जायेगा या उसके लंबित बिल में से वसूली की जायेगी या एक अलग दावा उस पर किया जायेगा ।

53. **स्टांप शुल्क –** बोलीकर्ता ठेका दिये जाने के अनुसरण में करारनामे का निष्पादन करने के लिए स्टाम्प-शुल्क वहन करेगा । करारनामा दो प्रतियों में निष्पादित किया जायेगा और बैंक मूल प्रति रखेगा तथा बोलीकर्ता दूसरी प्रति रखेगा ।

54. निविदा के भाग-।। में कोई शर्त नहीं बतायी जायेगी । यदि किसी निविदा में शर्तों का उल्लेख किया गया हो, तो उसे 'अवैध' माना जायेगा ।

55. ***निविदादाताओं द्वारा वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उद्धृत न्यूनतम दर अन्य सभी निविदादाताओं के लिए लागू होगी । सूचीबद्धता के लिए केवल उन निविदादाताओं पर विचार किया जायेगा, जो अन्य निविदादाताओं द्वारा वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उद्धृत न्यूनतम दरों पर कार्य करने की लिखित सहमति दें ।***

56. यदि ठेकेदार दस्तावेज के भाग-।। में उल्लिखित टैक्सी से भिन्न मेक और मॉडल वाली टैक्सी देने में समर्थ हो, तो उसे प्रभारों सहित प्रासंगिक श्रेणी में शामिल किया जायेगा ।

57. यदि ठेकेदार उस श्रेणी की कार नहीं दे पाये, जिसकी बुकिंग बैंक द्वारा की गयी थी, तो वह उससे उच्चतर श्रेणी वाला वाहन उपलब्ध करायेगा । तथापि, भुगतान उस श्रेणी के वाहन के लिए किया जायेगा, जो बैंक द्वारा बुक किया गया था ।

58. **भुगतान की शर्तें** : भुगतान इलेक्ट्रॉनिक विधि से किया जाय़ेगा । सूचीबद्ध ठेकेदार बैंक खाता, आइएफएससी कोड, आदि का ब्यौरा देगा/देंगे, ताकि एनइएफटी के माध्यम से उसे/उन्हें भुगतान किया जा सके ।

59. क्षतिपूर्ति खंड: ए बोलीदाता, सभी दावों (तृतीय पक्ष के दावों सहित), कार्यों, नुकसान, लागत, व्यय, कानूनी व्यय सहित उन सभी दावों के खिलाफ आरबीआई और उसके अधिकारियों, कर्मचारियों, निदेशकों और प्रतिनिधियों को क्षतिपूर्ति देने के लिए सहमत है, जो आरबीआई को भुगतान करना पड़ सकता है जिसकी वजह बोली लगाने वाले की ओर से चूक के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं :

I अनुबंध अवधि के दौरान सरकार या अन्य वैधानिक अधिकारियों द्वारा जारी कानूनों, विनियमों, दिशानिर्देशों का उल्लंघन; या

ii। अनुबंध के नियमों और शर्तों का उल्लंघन या गैर-प्रदर्शन; या

iii। बोलीदाता द्वारा किए गए अभ्यावेदन और वारंटियों का उल्लंघन; या

iv। लापरवाह या धोखेबाज अधिनियम या बोलीदाता द्वारा चूक; या बोली लगाने वाले के लिए किसी भी तीसरे पक्ष के कारण

बी. बोली लगाने वाला बोली लगाने वाले के कर्मचारियों के किसी भी दावे के खिलाफ बैंक को क्षतिपूरित रखेगा और बोली लगाने वाले का कर्तव्य होगा कि वह अपने स्वयं के कर्मियों / कर्मचारियों को स्पष्ट रूप से सूचित करे कि वे बैंक के खिलाफ कोई दावा नहीं कर पाएंगे और वे किसी औद्योगिक विवाद, प्रत्यक्ष या / या अप्रत्यक्ष रूप से, बैंक या उसकी किसी सेवा शर्त के खिलाफ खड़ा नहीं करेंगे।

सी. इसके अलावा बोली लगाने वाला हर समय बैंक के खिलाफ के सभी दावों के खिलाफ सुरक्षित रखेगा , जो किसी भी दुर्घटना या चोट के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति या उसके रोजगार में जारी क्षतिपूर्ति के कानून या नियम के तहत या किसी भी कानून के तहत किए गए मुआवजे के नियम के तहत हो सकते हैं। इस समझौते के उद्देश्य के लिए बोलीदाता अपने कर्मचारियों को पारिश्रमिक और अन्य देयताओं के साथ-साथ उनके द्वारा किए गए चूक / कमीशन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। "

60. **निविदा का खोला जाना -** निविदा का **भाग-।** ***30 अप्रैल 2021 को 4.00 बजे अपराह्न में*** निविदादाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जो उपस्थित रहना चाहें, खोला जायेगा । केवल उन निविदादाताओं की वित्तीय बोली (भाग-।।) खोली जायेगी, जिन्हें भाग-। की संवीक्षा के बाद पात्र पाया जायेगा । वित्तीय बोली (भाग-।।) को खोले जाने की तिथि पात्र निविदादाताओं को बतायी जायंगी । निविदादाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि निविदा के भाग-।। को खोले जाते समय उपस्थित रह सकते हैं । इच्छुक निविदादाताओं के लिए एक बोली-पूर्व बैठक 07 अप्रैल 2021 को ***11.00 बजे पूर्वाह्न*** में शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी), कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, युनिवर्सिटी रोड, पुणे में होगी, जिसमें उनके द्वारा निविदा के संबंध में उठाये गये किसी विन्दु/संदेह का स्पष्टीकरण दिया जायेगा ।

61. **विवाचन द्वारा विवाद का निपटारा –** कोई दावा, विवाद या मतभेद (जिसमें इस करारनामे के अस्तित्व, वैधता और समापन के संबंध में विवाद शामिल है), जो इस संविदा से या उसके संबंध में उत्पन्न हो, जिसमें इसकी शर्तों की व्याख्या शामिल है, का समाधान संबंधित पार्टियों के प्राधिकृत प्रतिनिधियों की संयुक्त चर्चा के माध्यम से किया जायेगा । तथापि, यदि विवाद का समाधान यथा पूर्वोक्त चर्चा से नहीं हो, तो इस विषय को न्याय-निर्णयन के लिए एकमात्र विवाचक के पास भेजा जायेगा, जो प्रधानाचार्य, कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे द्वारा नियुक्त किया जायेगा । यदि एजेंसी ऐसी नियुक्ति से सहमत नहीं हो, तो दोनों पार्टियाँ एक-एक विवाचक को नियुक्त करेंगी और वे विवाचक एक पीठासीन विवाचक को नियुक्त करेंगे । विवाचक/विवाचकों के पैनल का निर्णय अंतिम और दोनों पार्टियों पर बंधनकारी होगा । माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 लागू होगा । विवाचन का स्थान पुणे होगा । इसके अतिरिक्त, सभी प्रकार के विवाद, मतभेद या दावा, यदि हों, पुणे में उत्पन्न हुए माने जायेंगे और केवल पुणे के न्यायालयों को उनका अवधारण करने की अधिकारिता होगी ।

62. **गोपनीयता** : ठेकेदार बैंक की आधारभूत संरचना/प्रणालियों/उपकरणों के बारे में कोई जानकारी, सामग्री और ब्यौरे, जो ठेकेदार के कब्जे या ज्ञान में इस करार से संबंधित संविदागत बाध्यताओं को पूरा करने के दौरान आयें, को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी अन्य पक्ष के सामने प्रकट नहीं करेगा और सब समय इन्हें एकदम गोपनीय रखेगा । ठेकेदार संविदा के ब्यौरे को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय संविदा के अंतर्गत बाध्यताओं को पूरा करने या प्रयोज्य विधियों का अनुपालन करने की आवश्यक सीमा तक । ठेकेदार कार्य के विवरण को किसी व्यापार या तकनीकी पत्र में बिना बैंक की पूर्व सहमति के प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करायेगा या प्रकट नहीं करेगा । ठेकेदार किसी गोपनीय सूचना को प्रकट किये जाने के कारण बैंक को हुई किसी हानि के लिए उसे क्षतिपूरित रखेगा । उपर्युक्त का अनुपालन करने की विफलता को ठेकेदार की ओर से संविदा का भंग माना जायेगा और बैंक को अधिकार होगा कि वह हर्जाने का दावा करे और विधिक उपचार करे ।

63. ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में वे सब कार्रवाई करेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो कि इस करार के अंतर्गत गोपनीय जानकारी को प्रकट नहीं किये जाने की बाध्यताएँ पूरी होती हैं । अप्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार की बाध्यताएँ इस करार की अवधि-समाप्ति या उसके खत्म होने तक, चाहे जिस कारण से हो, लागू रहेंगी ।

64. **कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न**

ठेकेदार/एजेंसी " दि सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन ऐट वर्कप्लेस (प्रिवेंशन, प्रॉहिबिशन एंड रिड्रेसल) ऐक्ट, 2013 " के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए अकेले जिम्मेवार होगी ।

क. यदि इसके कर्मचारियों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न की कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो शिकायत को ठेकेदार/एजेंसी द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के पास फाइल किया जायेगा और ठेकेदार/एजेंसी शिकायत के संबंध में उक्त अधिनियम के अंतर्गत युक्तियुक्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगा ।

ख. बैंक के किसी व्यथित कर्मचारी द्वारा ठेकेदार के किसी कर्मचारी के विरुद्ध की गयी यौन उत्पीड़न की किसी शिकायत को बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान में लिया जायेगा ।

ग. ठेकेदार ऐसे किसी आर्थिक मुआवजे का भुगतान करने के लिए जिम्मेवार होगा, जो ऐसी किसी घटना में ठेकेदार के कर्मचारी की संलिप्तता के कारण अदा किया जाना आवश्यक है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई आर्थिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा की गयी यौन उत्पीड़न/हिंसा साबित हो जाये ।

घ. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दे के संबंध में शिक्षित करने के लिए जिम्मेवार होगा ।

65. फोर्स मेजर: एजेंसी अपने ईएमडी, लिक्विडेटेड डैमेज या डिफॉल्ट के लिए टर्मिनेशन के लिए उत्तरदायी नहीं होगी, यदि कॉन्ट्रैक्ट के तहत अपने दायित्वों को निभाने में प्रदर्शन में देरी या अन्य विफलता फोर्स मैज्यूर की घटना का परिणाम हो। खण्ड के प्रयोजनों के लिए, "फोर्स मेजेअर" का अर्थ है एजेंसी के नियंत्रण से परे की घटना जिसमें एजेंसी की गलती या लापरवाही शामिल नहीं है और न ही दूरदर्शिता शामिल है । इस तरह की घटनाओं में युद्ध या क्रांतियां, आग, बाढ़, भूकंप, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, माल ढुलाई में प्रतिबंध आदि शामिल हो सकते हैं। बैंक तय करेगा कि एजेंसी की ओर से देरी या विफलता उसके नियंत्रण से परे की घटना का परिणाम थी या नहीं। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम और एजेंसी पर बाध्यकारी होगा और किसी भी कार्यवाही में किसी भी अदालत / फोरम के समक्ष सवाल करने के लिए खुला नहीं होगा।

66. **विभिन्न कारों की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता अनुबंध जी के अनुसार है ।**

67. प्रस्तुत की गयी निविदा पर संगठन के सक्षम प्राधिकारी का हस्ताक्षर होना चाहए । भागीदारी फर्म के मामले में, इस पर फर्म के सभी भागीदार हस्ताक्षर करेंगे या कोई एक भागीदार हस्ताक्षर करेगा, जिसे फर्म की ओर से प्रस्तावित संविदा करने के लिए आवश्यक प्राधिकार प्राप्त है । किसी कंपनी के मामले में, इस पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा, जिसके पास मुख्तारनामा है ।

मैं/हम इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने निविदादाताओं के मार्गदर्शन हेतु उक्त अनुदेशों को पढ़ और समझ लिया है ।

निविदादाता का हस्ताक्षर

सील/मुहर

तिथि

स्थान

अनुबंध : ए

भारतीय रिज़र्व बैंक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी)
पुणे

भाग-। - तकनीकी बोली

किराये पर कार सेवाएँ
प्रदान करने वाली पुणे स्थित टैक्सी एजेंसियों/कंपनिय़ों की सूचीबद्धता के लिए निविदा

प्रधानाचार्य
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक,
युनिवर्सिटी रोड,
पुणे 411016

आवेदन प्रपत्र
बुनियादी जानकारी (जहाँ भी आवश्यक हो, अलग पन्ना संलग्न करें)

क्रम सं.	विवरण	निविदादाता द्वारा भरा जाना है
1	एजेंसी/संगठन का नाम	
2	क) संगठन का प्रकार (क्या स्वामित्व/भागीदारी/प्रा.लि./लिमिटेड कंपनी है) । ख) स्थापना की तिथि ग) पंजीकरण के ब्यौरे (फर्म, कंपनी, आदि), पंजीकरण करने वाले प्राधिकारी, तिथि, संख्या, आदि (एकल स्वामित्व वाली कंपनी के लिए लागू नहीं) कृपया इसके समर्थन में संगत दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें ।	
3	संगठन के स्वामी/भागीदार/निदेशकों के नाम और पदनाम	
4	पंजीकृत कार्यालय/संगठन के कारोबार का पता और टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर एवं ई-मेल पता (क) क्या पुणे में अपना कार्यालय है (ख) पुणे में स्थानीय कार्यालय का पता (ग) प्राधिकृत अधिकारी का नाम और उसका टेलीफोन नंबर कृपया इसके समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें	
5	कार्य का अनुभव – पात्रता मानदंड की अपेक्षा के अनुसार कार्य-अनुभव के ब्यौरे, जिसके समर्थन में कार्यादेश, दस्तावेज और प्रमाणपत्र संलग्न किये जायें भारतीय रिज़र्व बैंक को किसी भी केंद्र में या सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ बैंकों/एमएनसी में किराये पर	

	कार/टैक्सी की सेवाएँ प्रदान करने का पूर्व अनुभव, यदि हो, के ब्यौरे, दस्तावेजी साक्ष्य के साथ दिये जायें ।	
6	ग्राहकों के नाम और पते पूरे ब्यौरों के साथ	
7	क्या निविदादाता के पास मार्च 2020 में समाप्त पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 19 लाख रुपये का कुल कारोबार हुआ पिछले दो वित्तीय वर्षों में उनके कुल कारोबार के लिए प्रमाणस्वरूप दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किये जाने चाहिए, यथा, (31 मार्च 2020 को समाप्त पिछले 03 वित्तीय वर्षों के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण और कर विवरणियाँ)	

वित्तीय वर्ष	**वार्षिक कुल कारोबार**	**टिप्पणी**	
2017-18			
2018-19			
2019-20			

8	पिछले तीन वित्तीय वर्षों 2017-18, 2018-19 और 2019-20) की आयकर विवरणियाँ कृपया एक प्रति प्रस्तुत करें	
9	क्या श्रम विभाग में ठेका श्रम (आर एंड ए) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) केंद्रीय नियम, 1971 के अंतर्गत पंजीकृत हैं । यदि हाँ, तो पंजीकरण की तिथि बताएँ । कृपया प्रमाणपत्र/पंजीकरण की एक प्रति संलग्न करें ।	
10	बैंकरों के नाम और पते । कृपया वित्तीय स्थिति के संबंध में बैंकर का प्रमाणपत्र संलग्न करें । (इस निविदा दस्तावेज से संलग्न फार्मैट के अनुसार)	
11	अपने स्वामित्व वाले वाहनों की संख्या और उनके ब्यौरे, यथा, वाहन का प्रकार/मेक/मॉडल/वाहन की स्थिति/आयु के साथ उसका पंजीकरण, टैक्सी परमिट संख्या, आदि (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें) अपने स्वामित्व में कम से कम 10 वाहनौं/टैक्सियों की सूची, जो 2015 से पुरानी नहीं हों, उनके आरसी/उपयुक्तता और परमिट की फोटोकॉपी के साथ अनुबंध : सी में दिये गये फार्मैट में प्रस्तुत की जाये	
12	क्या संगठन दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है और पर्यटन एवं यात्रा का संचालन करने के लिए उसके पास आवश्यक प्रमाणपत्र है	
13	बैंक खाता (आइएफएससी कोड और खाता संख्या) जिसमें संगठन द्वारा भुगतान प्राप्त किया जायेगा।	

प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेजों की प्रतियाँ :

1. लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण (वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए)
2. पिछले तीन वित्तीय वर्षों, अर्थात्, वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की आयकर विवरणियाँ
3. वित्तीय स्थिति के संबंध में बैंकर का प्रमाणपत्र
4. ग्राहक प्रतिसूचना
5. फर्म के निगमन के दस्तावेज
6. पैन की प्रतिलिपि
7. स्वामित्व वाले कारों की सूची
8. सेवाकर पंजीकरण/जीएसटी पंजीकरण
9. कोई अन्य दस्तावेज

बैंक को अधिकार होगा कि वह प्रमाण की माँग करे/दी गयी जानकारी का सत्यापन करे ।

घोषणा

उपर्युक्त जानकारी मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है और यदि इसे असत्य या गलत पाया जाये, तो मुझे/हमें निविदा प्रक्रिया में भाग लेने/ठेका दिये जाने से वंचित किया जा सकता है ।

1. मैं/हम बैंक द्वारा अनुबद्ध शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं ।
2. मैं/हम इस बात के लिए सहमत हूँ/हैं कि मेरी/हमारी निविदा बैंक द्वारा स्वीकार किये जाने के लिए निविदा का भाग-। खोले जाने की तिथि से 90 दिनों तक वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए विस्तारित किया जा सकेगा, जो बैंक और निविदादाता के बीच लिखित रूप में आपसी सहमति से तय पाया जाये । मैं/हम यह भी करार करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम निविदा की पूरी वैधता अवधि के दौरान अग्रधन को वैध बनाये रखूँगा/रखेंगे ।
3. मैं/हम यह समझता हूँ/समझते हैं कि बैंक को यह अधिकार है कि वह बिना कोई कारण बताये किसी या सभी निविदाओं को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार या अस्वीकार कर दे ।
4. मैं/हम यह समझता हूँ/हैं कि मैं/हम कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे को सह-बोलीकर्ताओं द्वारा उद्धृत की गयी प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम कीमत बोली पर टैक्सियाँ देने के लिए बाध्य होऊँगा/होंगे ।
5. अग्रधन जमा के ब्यौरे

मद	**राशि**	**बैंक का नाम**	**बैंक शाखा**	**ड्राफ्ट संख्या**
इएमडी	रु.50000/-			

दिनांक - - - - - - माह- - - - - 2021

हस्ताक्षर
निविदादाता का नाम और सील

अनुबंध बी

ठेकेदार के कार्य संपादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाणपत्र

ग्राहक का नाम और पता

श्री/मे.. . . . . . द्वारा निष्पादित ठेके के ब्यौरे

1. ठेके का विवरण
2. संविदा/करार संख्या और तिथि
3. करार की राशि
4. ठेका आरंभ होने की तिथि
5. सेवा में विलंब त्रुटि के लिए लगायी गयी क्षतिपूर्ति के ब्यौरे (राशि बताएँ), यदि हो
6. उस प्राधिकरण का नाम और पता, जिसके लिए कार्य किया गया
7. सेवाप्रदाता की सक्षमताओं के संबेध में टिप्पणी
   क) तकनीकी प्रवीणता - उत्कृष्ट/बहुत अच्छा / संतोषजनक
   ख) वित्तीय सुदृढ़ता - उत्कृष्ट/बहुत अच्छा / संतोषजनक
   ग) मानव बल जुटाना - उत्कृष्ट/बहुत अच्छा / संतोषजनक
   घ) सामान्य व्यवहार - उत्कृष्ट/बहुत अच्छा / संतोषजनक

टिप्पणी : सभी स्तंभ समुचित रूप से भरे और प्रतिहस्ताक्षरित किये जायें

अनुबंध : सी

10 वाहनों की सूची

क्रम सं.	वाहन का मेक	पंजीकरण संख्या	मॉडल और निर्माण का वर्ष	इस समय तक तय की गयी दूरी (कि.मी.)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करें :

(क) पंजीकरण प्रमाणपत्र
(ख) बीमा के कागज-पत्र
(ग) टैक्सी परमिट
(घ) कोई अन्य संगत दस्तावेज (पीयुसी)

निविदादाता का हस्ताक्षर
सील/मुहर

तिथि :
स्थान :

अनुबंध – डी

<u>बैंकरों के ब्यौरे</u>

(आवेदक के पत्र-शीर्ष पर दिया जाना है)

बोलीदाता के बैंकर का विवरण :

कंपनी पर

क्रमांक	विवरण	
1	बैंक का नाम	
2	शाखा का पता	
3	आइएफएससी कोड (रद्द किया हुआ चेक जोड़िए)	
4	टेलीफोन और फैक्स संख्या	
5	संपर्क किये जाने वाले व्यक्ति का नाम	
6	बैंक से बोलीदाता को प्राप्त ऋण सुविधा / ओवरड्राफ्ट सुविधा की राशि	
7	वह अवधि जबसे बोलीदाता उक्त बैंक से बैंकिंग कर रहा है	
8	बैंक खाता संख्या (यह चालू खाता होना चाहिए)	
9	खाते का प्रकार	
10	खाता धारक का पूरा नाम	
11	स्थायी खाता संख्या	

मैं / हम इसके माध्यम से सहमत हैं और एनईएफटी के माध्यम से कर्मचारियों के वेतन को सीधे उनके बैंक खाते में वितरित करने की पुष्टि करते हैं और यदि हमारी फर्म / कंपनी को एनईएफटी के माध्यम से दायित्व दिया जाता है, तो उपरोक्त कार्यों के संबंध में भी भुगतान स्वीकार करते हैं।

अनुबंध : ई

अनुसूचित बैंक से बैंकरों की कुल शोधन क्षमता का प्रारूप फार्म
(यह बैंकर द्वारा सीलयुक्त लिफाफे में निविदा के साथ संलग्न किया जाना चाहिए)

यह प्रमाणित करना है कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और सूचनाओं के आधार पर मेसर्स ....------------------- --------------------- नीचे दिए गए पते के रूप में, हमारे बैंक का एक सम्मानजनक ग्राहक है और इसे किसी भी कार्य बंधन के लिए एक सीमा तक.............. (रूपये ....) तक अच्छा माना जा सकता है। यह प्रमाण पत्र बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के बैंक या किसी भी अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है।

(हस्ताक्षर)
बैंक के लिए

ध्यान दें:

1. बैंकर्स सर्टिफिकेट बैंक के लेटर हेड पर होना चाहिए, जिसे प्रिंसिपल, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग (CAB), RBI, पुणे को संबोधित किया जाए।
2. साझेदारी के मामले में सफल बोलीदाता, बैंक के साथ रिकॉर्ड किए गए सभी भागीदारों के नाम शामिल करने का प्रमाण पत्र।

अनुबंध एफ

प्रतिभूति निक्षेप के लिए निष्पादन बैंक गारंटी का प्रोफार्मा

(जारीकर्ता बैंक के नाम से खरीदे गये युक्तियुक्त मूल्य के न्यायिकेतर स्टाम्प-पत्र पर प्रस्तुत किया जाये)

स्थान : दिनांक- - - - -

प्रधानाचार्य
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय
भारतीय रिज़र्व बैंक
विद्यापीठ मार्ग
पुणे – 411016

महोदय,

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, , भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे में 31 मार्च 2024 तक वाहन देने के लिए कार हायरिंग एजेंसियों/कंपनियों की सूचीबद्धता के लिए संविदा

प्रतिभूति निक्षेप के लिए निष्पादन बैंक गारंटी

भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई के शहीद भगत सिंह रोड, में अपना केंद्रीय कार्यालय रखने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद "RBI" कहा जाता है) और पुणे विश्वविद्यालय रोड स्थित कृषि महाविद्यालय (इसके बाद CAB के रूप में संदर्भित) ने अनुबंध प्रदान किया है (बाद में "अनुबंध" कहा जाता है) मेसर्स _____________ (ठेकेदार का नाम) (इसके बाद "उक्त ठेकेदार" कहा जाता है, जिसमें अभिव्यक्ति में इसके उत्तराधिकारी और असाइन शामिल होंगे)।

और जब कि हम, _______________ (बैंक का नाम), (इसके बाद "बैंक" कहा जाता है), जानते हैं कि दिनांक _____ को भारतीय रिज़र्व बैंक और ठेकेदार के बीच समझौते निष्पादित किया गया है जिसके खंड ----------------- के अनुसार ठेकेदार को अनुबंध में निहित नियमों और शर्तों के अनुसार उक्त ठेकेदार द्वारा उचित पूर्ति के लिए ________ ._______________ (Rupees___ ___________________________________ केवल) (आंकड़ों और शब्दों में राशि) की कुल राशि के लिए एक निष्पादक सुरक्षा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

और जबकि, हम, (बैंक का नाम), मेसर्स __________________ ठेकेदार, के अनुरोध पर आरबीआई को भुगतान करने का आश्वासन देते हैं, जो संविदा के नियमों और शर्तों की उचित पूर्ति के लिए निष्पादन गारंटी के रूप में ________________ रुपये से अधिक नहीं है।

अब इस गारंटी में यह है :

1. हम (बैंक का नाम) सहमत हैं कि आरबीआई, उनके उत्तराधिकारियों, समनुदेशी को यह बताता है कि यदि आरबीआई इस निष्कर्ष पर आ रहा है कि ठेकेदार ने अनुबंध की उक्त शर्तों के तहत दायित्वों का निष्पादन नहीं किया है या उल्लंघन किया है , जो निष्कर्ष हमारे साथ ही उक्त ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा; हम भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मांग करने पर बिना रुकावट से भुगतान करेंगे और ऐसी राशि ________केवल से अधिक नहीं होगी।

2. हम इस बात कए लिए भी सहमत हैं और पुष्टि करते हैं कि उक्त राशि (केवल रुपए) का बिना किसी भी रुकावट या विरोध के बिना भुगतान किया जाएगा जो कि केवल आरबीआई से लिखित रूप में एक नोटिस प्राप्त करने पर होगा और हम किसी और सबूतके लिए नहीं कहेंगे; आरबीआई का नोटिस हमारे लिए निर्णायक और बाध्यकारी होगा और किसी भी तरह से या किसी भी तरीके से हमारे द्वारा पूछताछ नहीं की जाएगी। हम भारतीय रिजर्व बैंक को उक्त राशि का भुगतान करेंगे, भलेही आरबीआई के साथ या किसी भी न्यायालय, ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेटर आदि के समक्ष ठेकेदार द्वारा उठाए गए किसी भी वाद / विवाद या किसी भी वाद / कार्यवाही के बावजूद होगा और इस गारंटी के तहत दायित्व होगा और यह पूर्ण और स्पष्ट होगा। हम आरबीआई द्वारा दावा की गई राशि का भुगतान नोटिस की प्राप्ति की तारीख से एक सप्ताह के भीतर पूर्वोक्त के रूप में करेंगे।

3. हम इस बात की पुष्टि करते हैं कि इस गारंटी के तहत आरबीआई के प्रति हमारा दायित्व आरबीआई और ठेकेदार के बीच हुए समझौते या समझौतों या अन्य समझ से स्वतंत्र होगा। हम आगे इस बात से सहमत हैं कि इसमें निहित गारंटी इस राशि के पूरे भुगतान तक जारी रहेगी और यह कार्य आरबीआई कि संतुष्टि तक होगा या आरबीआई द्वारा इस गारंटी को डिस्चार्ज करने तक होगा।

4. हम आगे आरबीआई की लिखित सहमति के बिना इस गारंटी को लागू अवधि के दौरान रद्द नहीं करने का वचन देते हैं।
5. हम आगे इस बात से सहमत हैं कि –

क) आरबीआई के पास इस गारंटी के तहत बैंक की देयता को किसी भी तरह से प्रभावित किए बिना पूर्ण स्वतंत्रता होगी कि वह समय-समय पर ठेकेदार द्वारा निष्पादन के समय को बढ़ाने सके। भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वतंत्रता के किसी भी कार्य द्वारा इन प्रस्तुतियों के तहत बैंक को अपनी देनदारियों से मुक्त नहीं किया जाएगा। उक्त समझौते की शर्तों को लागू करने या उक्त अनुबंध में उल्लिखित किसी भी नियम और शर्तों के अनुपालन में और / या किसी भी समय या किसी भी समय के अनुदान को देने या आरबीआई की ओर से किसी भी प्रतिबंध, कोई भी निषेध या कमीशन से हमारा दायित्व समाप्त नहीं होगा । ठेकेदार या कनेक्शन के किसी अन्य मामले में इस गारंटी के तहत किसी भी तरह से हमें और हमारे दायित्व का निर्वहन नहीं करना चाहिए। यह गारंटी केवल उनके दायित्वों के ठेकेदार द्वारा आरबीआई की संतुष्टि के साथ प्रदर्शन करनेसे होगा और ऐसा करने में उनकी विफलता की स्थिति में, हमारे द्वारा भुगतान -------------राशि (रुपए केवल) से अधिक नहीं होने पर किया जाएगा।

ख) इन दावों के तहत हमारी देयता -------(केवल रुपए) राशि से अधिक नहीं होगी।
ग) इस समझौते के तहत हमारी देनदारी हमारे उक्त घटकों / ग्राहकों या उनके दायित्वों की ओर से या हमारे उक्त घटकों की संरचना में विघटन या परिवर्तन से किसी भी प्रकार की दुर्बलता या अनियमितता से प्रभावित नहीं होगी।
d) यह गारंटी -------------- तक लागू रहेगी।
ई) भुगतान की मांग करने वाला नोटिस आरबीआई द्वारा जारीकर्ता बैंक के निम्नलिखित पते पर जारी किया जा सकता है।
i) डाक पता

ii) ईमेल पता

iii) फेसमाइल

गवाह के रूप में, जहां से मैंने / हमने बैंक के हस्ताक्षर किए हैं ------------------- (माह) (वर्ष) के इस दिन को विधिवत अधिकृत किया है।

(बैंक का नाम) -------------के लिए और उसकी ओर से

नाम:
पदनाम:
बैंक की मुहर / सील
उपर्युक्त नाम से बैंक की ओर से हस्ताक्षरित, सीलयुक्त और सुपुर्द किया गया:

साक्षी 1
हस्ताक्षर
नाम
पता
(टिप्पणी: इस गारंटी के लिए राज्य में लागू स्टैंप ड्यूटी की आवश्यकता होगी, जहां इसे निष्पादित किया जाएगा और उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसके हस्ताक्षर और प्राधिकरण सत्यापित किए जाएंगे)।

अनुबंध : जी

विभिन्न कारों की वार्षिक अपेक्षा

विभिन्न कारों की अनुमानित वार्षिक अपेक्षा निम्नानुसार है **:-**

मारुति स्विफ्ट डिजायर/इटिओस	800
होंडा सिटी / सियाज	10
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा शेवरले	180
कोरोला/ऑल्टिस	08

कृपया ध्यान दें कि यह कारों की अनुमानित वार्षिक आवश्यकता है और बैंक की आवश्यकता के आधार पर इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है।

कार हायरिंग एजेंसी/रेंट-ए-कार एजेंसियों/कंपनियों के पास ऊपर उल्लिखित सभी मॉडल/मेक की कारें होनी चाहिए । ऊपर उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त, सूचीबद्धता बैंक द्वारा इस संबंध में बतायी गयी शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन और हायरिंग एजेंसी द्वारा उनके पास अपने स्वामित्व वाले वाहनों का ब्यौरा, यथा, मेक. मॉडल और पंजीकरण संख्या तथा ड्राइवरों के ब्यौरे, यथा नाम, पता, पासपोर्ट आकार का फोटो और ड्राइविंग लाइसेंस, आदि प्रस्तुत किये जाने के अधीन होगा । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि दिये गये वाहन 2017 से पूर्व के नहीं हों ।

अनुबंध : एच

ई-भुगतान करने के लिए बैंक खाते का विवरण

संस्था का नाम : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

पूरा पता : कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, गणेशखिंड रोड, शिवाजी नगर, पुणे-16

1	खाताधारक का नाम (जैसाकि बैंक खाता में दिया गया है)	कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे
2	**खाता संख्या**	**8614038**
3	खाते का प्रकार (बचत, चालू, आदि)	चालू
4	**पैन नंबर**	**AAIFR5286M**
5	बैंक का नाम	**सीएबी, आरबीआई, पुणे**
6	शाखा का नाम	सीएबी, पुणे
7	बैंक का पता	सीएबी, पुणे
8	**एनइएफटी/आइएफएस कोड**	RBIS0PUPA01 (0 in the code represents ZERO)
9	**खाते का नाम**	संडरी जमा खाता – विविध – बी डी

अनुलग्नक I

उपयोगकर्ता प्रतिकृया फार्म
(यात्रा शुरू होने से पहले उपयोगकर्ता को प्रदान किया जाएगा)
मैं यात्रा के लिए प्रतिक्रिया देने को तैयार हूं - (हां / नहीं)
एजेंसी का नाम:
कार नं:
कार प्रकार:
चालक का नाम:
ड्राइवर संपर्क नंबर:
बुकिंग की अवधि - से

1. क्या ड्राइवर ने अतिथि को प्लेकार्ड (यदि लागू हो) के साथ प्राप्त किया (हाँ / नहीं)
2. क्या चालक समय पर है? (हाँ /नही)
3. क्या चालक द्वारा मीटर रीडिंग शुरू की गई थी? (हाँ / नही)
4. क्या ड्राइवर बड़े करीने से तैयार / अच्छी तरह से व्यवहार कर रहा / अनुभवी था? (हाँ ।नही)
5. क्या कार मॉडल बुकिंग मेल सूचना में निर्दिष्ट अनुसार है? (हाँ / नही)
6. क्या कार अच्छी और साफ हालत में (अंदर / बाहर) थी? (हाँ / नही)
7. क्या पानी की बोतलें, छाता, समाचार पत्र प्रदान किया गया ? (हाँ / नही)
8. क्या वाहन चलाते समय चालक अपने मोबाइल का उपयोग कर रहा था? (हाँ / नही)
9. क्या आप फिर से उसी एजेंसी का उपयोग करना पसंद करेंगे? (हाँ / नही)
10. कोई अन्य सुझाव / शिकायत / अवलोकन, विवरण प्रदान करें -

हस्ताक्षर:
अतिथि का नाम:
अतिथि का पदनाम:
अतिथि के पद का केंद्र:
(बैंक को चालान के साथ जमा करने के लिए वाहन जारी करने पर चालक को सौंप दिया जाएगा)

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय,
भारतीय रिज़र्व बैंक
शिष्टाचार, सुरक्षा एवं संभारतंत्र विभाग (पीएसएलडी)
पुणे

कृषि बैंकिंग महाविद्यालय,भारतीय रिज़र्व बैंक को सेवा प्रदान करने के लिए किराये पर कार की सेवाएँ प्रदान करने वाली पुणे स्थित कार परिचालक एजेंसियों / कंपनियों को सूचीबद्ध किये जाने के लिए आवेदन

भाग-।। - केवल कीमत बोली

निविदादाता का नाम :- - - - - - - - - - - - -

पता : - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -

संपर्क संख्या : - - - - - - - - - - - - - - -

प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि : 30 अप्रैल ***2021 को 3.00 बजे अपराह्न तक***

<u>**भाग-।। (केवल कीमत बोली)**</u>

<u>**(दरें रुपये में)**</u>

कार देने के लिए कोटेशन (सभी ए.सी. कारें और बसें)

कार्य का स्वरूप	स्विफ्ट डिजायर/	इनोवा क्रिस्टा	होंडा सिटी / सियाज	होंडा सिविक	होंडा एकॉर्ड/ कोरोला	बी एम डब्ल्यू / ऑडी		
स्थानीय उपयोग								
पुणे एयरपोर्ट लोगों को लेना या छोड़ना								
रेलवे स्टेशन लोगों को लेना या छोड़ना								
4 घंटे/40 कि.मी.								
8 घंटे/80 कि.मी.								
अतिरिक्त कि.मी.								
अतिरिक्त घंटे								
पुणे से मुम्बई और वापस (375 कि मी)								
मुम्बई से पुणे और वापस (375 कि मी)								
केवल पुणे से मुम्बई (6 घंटे और 180 कि मी) केंवल लोगों को छोड़ना								
केवल मुम्बई से पुणे केवल लोगों को छोड़ना (6 घंटे और 180 कि मी)								
पुणे से बाहर न्यूनतम 250 कि.मी./दिन कारों के लिए और 300 कि.मी. इनोवा के लिए								
अतिरिक्त कि.मी.								
अतिरिक्त घंटे								
रात्रि विश्राम								
ड्राइवर प्रभार								

टिप्पणी:

*कृपया वस्तु एवं सेवा कर नहीं जोड़ें, जिसका भुगतान सरकारी मानदंडों के अनुसार किया जायेगा। सेवा प्रभार में सभी प्रकार की सांविधिक लेवी शामिल होगी और उसमें जीएसटी शामिल नहीं होगी। वस्तु एवं सेवा कर को अलग से दर्शाया जाना चाहिए।

1. @यदि निविदादाता किसी अन्य मेक या मॉडल की टैक्सी देगा, तो उसे प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत प्रभारों के साथ शामिल किया जायेगा । किसी भी स्थिति में, यदि सेवाप्रदाता चाहे तो स्वयं या बैंक के कहने पर कोई अन्य मेक या मॉडल की कार देता है, तो उसे तत्समान श्रेणी की कारों के लिए अनुमोदित दरों के अनुसार भुगतान किया जायेगा ।

2. पथ कर और पार्किंग प्रभार का भुगतान मूल रसीद प्रस्तुत करने पर किया जायेगा ।

3. एयरपोर्ट पर लोगों को छोड़ने/लेने, रेलवे स्टेशन पर लोगों को छोड़ने/लेने के लिए केवल एक नियत राशि का भुगतान किया जायेगा ।

4. वाहनों की प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उद्धृत न्यूनतम दर सभी निवनिदादाताओं के लिए लागू होगी । केवल उन निविदादाताओं की सूचीबद्धता के लिए विचार किया जायेगा, जो लिखित रूप में अन्य निविदादाता/निविदादाताओं द्वारा प्रत्येक श्रेणी के वाहन के लिए उद्धृत की गयी न्यूनतम दर पर कार्य करने के लिए लिखित रूप में सहमति दें ।

5. बैंक को अधिकार होगा कि वह किसी निविदादाता के मामले की समीक्षा करे, जिसकी सेवा को असंतोषजनक पाया जाये और यहाँ तक कि उसका ठेका निरस्त कर दे ।

6. निविदा के भाग-।। में कोई शर्त नहीं बतायी जाये । यदि किसी निविदा में शर्तें उल्लिखित पायी जायें, तो उसे 'अवैध' माना जायेगा ।

निविदादाता का हस्ताक्षर

सील

तिथि